

कार्यालय कलेक्टर दमोह

आदेश

क्रमांक क/स.व.लि./2016

28

दमोह दिनांक 02/01/2017

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक M-3-2/ 1999/1/4 भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं डॉ.श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर दमोह वर्ष 2017 के लिए निम्नलिखित दिनांको के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

क्र.	जिला	अवकाश घोषित	दिन	पर्व
1	दमोह	17 मार्च 2017	शुक्रवार	रंगपंचमी
2	दमोह	28 सितम्बर 2017	गुरुवार	दुर्गाष्टमी
3	दमोह	20 अक्टूबर 2017	शुक्रवार	गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन)

2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/उपकोषागारों एवं बैंको को छोड़कर जिले में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में लागू होंगे।

(डॉ.श्रीनिवास शर्मा)

कलेक्टर

जिला-दमोह

दमोह दिनांक 02/01/2017

पृष्ठांकन क्रमांक क/स.व.लि./2016

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल।
3. सचिव, राजस्व मंडल ग्वालियर।
4. महालेखाकार ग्वालियर।
5. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर।
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
7. आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर।
8. कमिश्नर सागर, संभाग सागर।
9. वाणिज्यकर आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर।
10. श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर।
11. कलेक्टर समस्त म.प्र.।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत दमोह।
13. जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह
14. जिला जनसंपर्क अधिकारी दमोह की ओर सूचनार्थ।
15. समस्त कार्यालय प्रमुख जिला दमोह।
16. अनुविभागीय अधिकारी दमोह/हटा/पथरिया /तेंदूखेड़ा।
17. मुख्य नगरपालिका अधिकारी दमोह/हटा।
18. मुख्य नगरपालिका नगर पंचायत पथरिया/तेंदूखेड़ा/हिण्डोरिया/पटेरा।
19. तहसीलदार समस्त जिला दमोह।
20. स्टेनो टू कलेक्टर, दमोह।
21. अधीक्षक, कलेक्ट्रेट दमोह।
22. कर्मचारी संघ अध्यक्ष समस्त जिला दमोह।

कलेक्टर

जिला-दमोह